

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) बैतूल

क्रमांक 13 अ-82/19-20/ बिजासनी/ 4510 बैतूल दिनांक 6 - 05 - 2020
प्रति,

- 1- अनुविभागीय अधिकारी ,
भैसदेही ।
- 2- कार्यपाल यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
मुलताई ।
- ✓ 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बैतूल ।
- 4- तहसीलदार आठनेर ।

विषय:- मौजा बिजासनी तहसील आठनेर, बिजासनी जलाशय के भू-अर्जन प्रकरण में विशेषज्ञ समिति की राय का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

विषयान्तर्गत भू-अर्जन प्रकरण में विशेष समिति की राय प्राप्त हुई है जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

उक्त विशेष समिति की राय का आपके कार्यालय, ग्राम स्तर एवं समुचित सरकार की वेबसाईट पर विधिवत प्रकाशन किया जाकर अवगत करावे ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(राकेश सिंह)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 13 अ-82/ 19-20/4510
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 6 - 05 - 2020

- 1- प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
को विशेषज्ञ समिति की राय का विधिवत प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर,
बैतूल

विषय :- बिजासनी लघु जलाशय हेतु मौजा बिजासनी तहसील आठनेर की भूमि का अर्जन हेतु विशेषज्ञ समिति की राय ।

—00—

विषयांकित भूमि अर्जन के प्रकरण में निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था :-

ए - (तकनिकी विशेषज्ञ)

- | | |
|---|---------|
| 1/ श्री जी०पी. सिलावट, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई , | अध्यक्ष |
| बी- (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ) | |
| 2/ श्री आर एन यादव, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग आठनेर | |
| 3/ उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग आठनेर, | सदस्य |

सी-(दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी)

- | | |
|--|--------|
| 4/ श्री के सी वागद्रे, शिक्षित एवं समाजसेवी निवासी आठनेर | सदस्य |
| 5/ श्री शशि भूषण जैसवाल, शिक्षित एवं समाजसेवी निवासी आठनेर , | सदस्य |
| डी-(ग्राम पंचायत के दो प्रतिनिधि) | |
| 6/ सरपंच, ग्राम पंचायत मूसाखेड़ी | सदस्य |
| 7/ उपसरपंच ग्राम पंचायत मूसाखेड़ी | सदस्य, |

उपरोक्त विशेषज्ञ समिति को बिजासनी लघु जलाशय, हेतु भू-अर्जन प्रकरण में पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण समिति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विशेषज्ञ समिति के नामांकित सदस्यों को प्रदाय की गई ।

अध्यक्ष, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल के द्वारा समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाकर बिजासनी लघु जलाशय हेतु भूमि के अर्जन के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया साथ ही योजना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी एवं प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के संबंध में तथा योजना से संबंधित लाभ की समस्त जानकारियों से अवगत कराया गया जिसके आधार पर विशेषज्ञ समिति के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु विधिनुसार एवं निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है ।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है ।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है, समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
- (7) पर्यावरण पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा। क्षेत्र में जलस्तर की मात्रा अधिक होने के साथ वृक्षारोपण में अधिक मात्रा में किया जाकर वृक्षों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है।
- (8) क्षेत्र के पशु पक्षियों को वर्ष भर सुगमता से पानी प्राप्त होते रहेगा एवं उनके चारे आदि की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी।

दिनांक 30/11/2020

(S. K. Wadgaonkar)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन अनुविभाग
आठनेर

(e. k. wadgaonkar)
e. k. wadgaonkar

(S. B. Jaiswal)
S. B. Jaiswal
शिववती
ग्राम पंचायत मूसाखेड़ी
विकास अर्ज

(S. R. Athar)
S. R. Athar

मनोत्ती

सरपंच
ग्राम पंचायत मूसाखेड़ी

(S. R. Athar)
S. R. Athar